

उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (नागौर)

शुद्धी वनाम केशव रमण शर्मा मुजुमदार

किसम मुकदमा 4211/16 अधीन धारा 212/16 मु.नं. 4211/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम अह हुक्म
18/5/16	<p>पक्षकारान उप./अनु.उप./वकीलप्राप्ति/ अप्राप्ती उप./अनु.। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान में समझाविस की गई। परन्तु एसीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जावे पत्रावली दिनांक 04/7/16 को पेश हो</p>	
04/7/16	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली फरीकेंग उपयुक्त माननीय न्यायालय राजस्थान हाइकोर्ट के पत्रावली/गमि गिजराती 2016/3414/नागौर/1-9-16 दिनांक 27-6-2016 उपर मूल पत्रावली तलब किये जाते हैं पत्रावली उपर न्यायालय को उचित की जाती है पत्रावली शर्पित रहे</p>	
27-6-18	<p>उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कुचामन सिटी (नागौर)</p> <p>पत्रावली माननीय हाइकोर्ट के पास हुई उनको लौटा दिया पत्रावली को वापिस किया जाने किना उचित किना उपर उचित किना को वापिस किया जावे किना पर किना 28/6/18 को पेश</p>	
28/6/18	<p>पत्रावली उपर लौटा दी पत्रावली उपर लौटा दी वकीलप्राप्ति कलक्टर को वापिस लौटा दी सत्यमेव जयते</p> <p>पत्रावली उपर लौटा दी किना पर किना 28/6/18 को पेश</p> <p>पत्रावली उपर लौटा दी किना पर किना 28/6/18 को पेश</p>	

Web Copy Not Valid